

ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र सरकार ने निर्धारित किए हैं लक्ष्य और बिन्दु

विकास के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज के तहत 9 लक्ष्य निर्धारित किये गये थे जिनमें से आज तक एक भी लक्ष्य पूरे नहीं हो सके। कारण सिर्फ यही रहा

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये ये थीम निर्धारित की गयीं थे। स्वच्छ गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितोर्षी गांव, जल पर्याप्त गांव, रिजर्व और हिरत गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव, सामाजिक रूप से संरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव, महिला हितोर्षी गांव थीम शामिल थी। इसके लिये 17 बिन्दुओं का सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिन्हें गरीबी के सभी रूपों को हट कर हमें समाप्त करना, भुखमरी को समाप्त करना, सभी उम्र के लोगों को स्वस्थ सुशासन एवं स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, समावेशी शिक्षा और सभी को समान अवसर, लैंगिक समानता से सशक्तिकरण, सभी के लिये स्वच्छ पानी की उपलब्धता, सभी के लिये सरती टिकाऊ एवं आधुनिक ऊर्जा को प्रचुर सुनिश्चित करना, आधोगिकीकरण एवं नवाचार को बढ़ावा देना, शहरों एवं मानव वस्तियों को समावेशी, सुरक्षित एवं टिकाऊ बनाना, जंगलों का स्थायी प्रबंधन, भूमि संरक्षण एवं जल विविधता के नुकसान को रोकना आदि लक्ष्य निर्धारित की गये थे। इन लक्ष्यों एवं थीमों को देखने से लगता है कि गांवों के विकास के लिये सरकारों ने बेहतर योजनाओं की परिपक्वता की थी किन्तु दुर्भाग्य यह रहा कि कागज़ों तक ही क्रियान्वयन हो पाया। जमीन में योजनाओं का अन्तर कहीं भी दिखाई नहीं दिया।

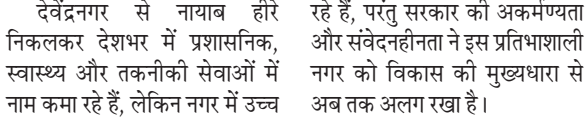
साधारणतः अर्धचन्द्र 243 जो के अंतर्गत ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये राज्यों को अधिकार दिये गये हैं। इसके तहत ग्राम पंचायतों के लिये पंचायत, जनपद स्तर के लिये जनपद पंचायत एवं जिला स्तर की परिगणनाओं के लिये जिला पंचायतों को अनुमोदन के लिये प्रावधान बनाये गये। इसके तहत पंचायत स्तर पर जोपीडीपी, ब्लाक स्तर पर बीपीडीपी, जिला स्तर पर डीपीडीपी तैयार करने के



कार्य एवं कल्याण से संबंधित कार्य-
 माहलों को सूचीबद्ध किया गया था। जहाँ
 पेयजल, सड़क, पुलिया, जलमार्ग, संचार,
 विजली, अस्पताल, औषधालय, स्वास्थ्य,
 कृषि, भूमिसुधार, सिंचाई, पशुपालन, डेयरी,
 मछली पालन, लघु वनोपज, बाजार मेला
 आदि को शामिल किया गया था। जबकि
 सूची में ग्रामीण अवास, गरीबी हटाओ,
 उन्मुलन, शिक्षा, सांस्कृतिक

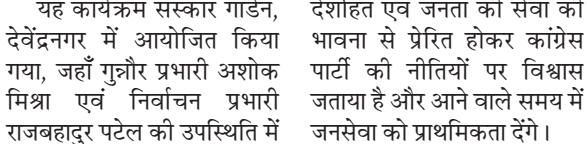
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश और संचालन:- सूचीबद्ध मामलों को जमीन में उतारने के लिये वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को शुरूआत हुई। क्रियान्वयन के लिये दिशा निर्देश जारी हुये। आगे चलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को संशोधित किया गया। 15वें वित्त आयोग के समय एक बार फिर संशोधन किया गया। इस तरह से समय-समय पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में संशोधन होते चले गये। जिसके अनुसार ग्राम पंचायतों से लेकर योजनायें भी तैयार होती चली गईं। किन्तु

पहली थॉम एंव पहले लक्ष्य को ही देखा जाय तो गाँवो से गरीबी आज तक नहीं हट पायी। गाँवों में आज भी गरीबी बुरी स्थिति में पहुच चुकी है। भले ही पोषण के नाम पर कुछ लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पैतृ भरणे के लिये सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा हो। किन्तु गरीबी को पूरी तरह से गाँवों के भागने को जिस तरह से लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिस तरह से कम्पनी की इग्रेस हो वह सफल नहीं हो पाया। क्रियायतारों में कमियाँ थी या सिस्टम में कमियाँ थी। कुछ न कुछ तो था जिसके चलते गरीब का आज भी चुनौती के रूप में दिखाई दे रही है। गाँव के गरीब का हाल यह है कि वह बीमार होता है तो दवाई के लिये पैसे नहीं होता। गांव से बाहर जाने के लिये उत्तर पर फायदे का पैसा नहीं होता। वह मजदूरी करने के लिये पलायन करता है। उसे बेहतर शिक्षा भी नहीं मिल पाती। लिहाजा यह कहा जा सकता है कि गरीबी हटाने की चिन्ता तो हुई किन्तु उसे प्रभावी तरीके से समाप्त करने के सफल प्रयास नहीं हो पाये। वहीं दूसरी ओर आधो श्रमिकता एवं विकास की बात की जाय तो वहां का भी यही हाल रहा। कामजों में योजनायें बजट उपलब्ध हुआ, किन्तु जमीन में वह नहीं उतर पाया। गुणवत्ता एवं समरूप सीमा का कोई ध्यान नहीं दिया गया करोड़ों की राशि कुछ ही वर्षों में एक-एक पंचायतों में पानी की तरह बहा दी गई। किन्तु जहां तस्वीर पंचायतों की चमकती हुई दिखनी चाहिये वहां वह आज भी अधरे में डूबी हुई दिखाई देती है। इसलिये सवाल यह उठता है कि इस तरह की योजनायें कब तक बनती रहेंगी। जहां लंबे वड़े भारी भ्रष्टकृत उपदेशों के साथ कार्यकर्ता का साहित्य तो तैयार हो जाता है किन्तु वह जमीन में नहीं उतर पाता।



यह किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है। उन्होंने कहा कि 75 प्रतिशत छात्राएँ उच्च शिक्षा के अवसरों के अभाव में अपने सपनों को अधूरा छोड़ने पर विवश हैं। बीते दो दशकों में देवेंद्रनगर के छात्र-छात्राएँ लगातार प्रदेश की प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त कर नगर का नाम रोज़ीन कर रहे हैं, परंतु सरकार की अकर्मण्यता और संवेदनहीनता ने इस प्रतिभाशाली नगर को विकास की मुख्यधारा से अब तक अलग रखा है।

उद्देशना है कि मध्यप्रदेश विवाह राजस्व निभय 2008 के अनुसार राज्य के भीतर भारत के नागरिकों के बीच किसी भी विधि या रूढ़ि के अधीन सत्यापित किए गए विवाह का पंजीयन किया जाता है। विवाहों का पंजीयन नहीं होने पर विशेष तौर पर महिलाओं को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पति की मृत्यु के बाद उनको मिलने वाले स्वर्त्तों के भुगतान आदि में परेशानी होती है। विवाह पंजीयन के

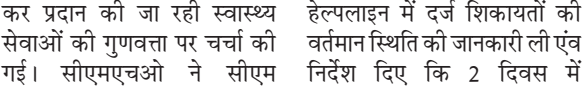


श्री अग्रवाल की पार्टी का सदस्यता दिलाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका गुलाल एवं पुष्पमाला पहनाकर और शाल-श्रीफल भेंट कर हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने देशहित एवं जनता की सेवा का भावना से प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर विश्वास जताया है और आने वाले समय में जनसेवा को प्राथमिकता देंगे।

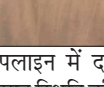
या सामुदायिक स



कर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर चर्चा की गई। सीएमएचओ ने सीएम



रस्थ केन्द्र पवई व



हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली एवं निर्देश दिए कि 2 दिवस में

औचक निरीक्षण

अधिकतम शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक बंद कराये। प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को आयोजित वीचएफएमपीडी में सुपरविजन हेतु ब्लॉक स्त्रीय टीम एवं सेक्टर सुपरवाइजर को निर्देश दिए गए। शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने एवं कार्य न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करने के भी निर्देश दिए गए।

पन्ना 9 नवंबर भावार्त
योजना 2025 अंतर्गत सोयाबीन
विक्रेता किसानों के लिए 9
नवम्बर को 4036 रुपए प्रति
क्रिंटल का मॉडल रेट जारी कि
गया है। यह मॉडल रेट उ
किसानों के लिए है, जिन्होंने
सोयाबीन की अपनी उपज मंडी
प्रांगणों में विक्रय की है। इस
मॉडल रेट के आधार पर ह
भावार्त की राशि की गणना क
जाएगी।



आये स्वस्थ। शिवर का
आयोजन डॉ राय हॉस्पिटल सार
के चिकित्सकों के सहयोग से किया
गया। शिवर में विशेषज्ञ डॉक्टरों
द्वारा पुलिसकर्मीयों एवं उनके
परिवारों का ई.सी.जी., ब्लड प्रेशर,
शुगर लेवल, सामान्य स्वास्थ्य
परीक्षण आदि किया गया तथा
आवश्यकता अनुसार उन्हें
चिकित्सकीयों परामर्श प्रदान किया
गया। कार्यक्रम के दौरान
चिकित्सकों द्वारा उपस्थित पुलिस
अधिकारियों एवं कर्मचारियों को
सी.पी.आर. का प्रायोगिक प्रशिक्षण
भी दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि

आकाशिक परस्थितियाँ जैसे हृदयपात्र तकने की स्थिति में समी.पी.आर. देने की सही तकनीक को सीखना ही इसका उद्देश्य है। से किसी व्यक्ति को जान बचाई जा सके। प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सकों ने डेमो के माध्यम से समी.पी.आर. की प्रक्रिया को सीखी। सती.झाया और सावधानियाँ केंद्र के जायकनारी दी उक्त शिविर में डॉ.आर.होमिस्पटल मकरोनिया सागर से डॉ.प्रतीक (एम डी मेडिसिन), डॉ.सतीक राय (जनरल सर्जन), डॉ.अखिलेश जैन (पल्मोनरी सर्जन), डॉ.मनीष (प्लास्टिक सर्जन), डॉ.नीलेश (आर्थो), डॉ.श्रीधाम (न्यूरोलॉजी) एवं सहयोगी स्टाफ उपस्थित रहे जिन्होंने संबंधित उपस्थित जांच कर आवश्यक परामर्श दिए। इस अवसर पर एसडीओपी.आर. एस पी सिंह बघेल, डीएसपी.आर.अजाक राजेंद्र मोहन द्वे, रक्षक निरीक्षक तथा खिलाना सिंह केंद्र के यातायात थाना प्रभारी नीलेश लक्ष्यकार, थाना प्रभारी कोतावलकर, रोहित मिश्रा, एवं पुलिस विभाग के कर्मचारी 200 से अधिक अधिकारी उपस्थित एवं उनके परिवारजन उपस्थित रहे।

समस्या को देखते हुए भारतीय डाक विभाग ने पेंशनधारकों के लिए एक सुविधानुसार सेवा को शुरूआती की है। अब पेंशनधारकों को अपने जीवन प्रमाण बनाने के लिए बैंकों या सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। डाक विभाग ने इस कार्य के लिए डिजिटल लाइफ सिस्टिकेट सुविधा प्रारंभ की है, जिसके तहत अब डाक विभाग डूर स्टैप सर्विस के माध्यम से स्वयं पेंशनधारक के घर पहुंचकर जीवन प्रमाण पत्र तैयार करेगा। इस सुविधा के लिए मात्र 70 रूपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। यह सेवा न केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए बल्कि सही है, बल्कि उनसे लिए एक बड़ी सुविधायन भी है। तैयार होने के बाद डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र स्वचालित रूप से संबंधित पेंशन प्रदाता संस्थान तक ऑनलाइन माध्यम से पहुंच जाता है।

पेंशनधारक के घर पहुँचकर जीवन प्रमाण पत्र तैयार करेगा। इस सुविधा के लिए मात्र 70 रूपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। यह सेवा न केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए हीत भरी है, बल्कि उनके लिए एक बड़ी सहाय्यता भी है। तैयार होने के बाद डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र स्वचालित रूप से संबंधित पेंशन प्रदाता संस्थान तक ऑनलाइन माध्यम से पहुँच जाता है।

न्यायिक और न्याय प्रणाली विचारों में कार्यक्रम स्थल पर ही विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने का सुझाव दिया गया है। सामूहिक विवाह कराने वाली सभी संस्थाओं से जागरूकता बढ़ाने मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है।

इसा क आधार पर उनका पेशन आगे चालू रहती है, लेकिन इस नियम के चलते ऐसे बुजुर्ग पेंशनरों को दिक्रत झेलनी पड़ती है, जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या फिर चलने-फिरने में असमर्थ हैं। पेंशनरों को इसी

मार्गों हो कि जिले में प्राइवेट कॉलेजों का यह गोरखधंधा करीब पिछले दस साल से चल रहा है। लेकिन आज तक इन प्राइवेट कॉलेज पर शिक्षका कसने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। प्रता राजनेताओं का पूरा संरक्षण प्राप्त है। जिसे देखकर कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसे प्राइवेट कॉलेजों को लुटने के लिए खुली छूट दे कर रखी गई है। जिसके बदले ऐसे जिम्मेदार नुमाइंदों का भी सलाह कमीशन बंधा होता है।

भरमार :- ज्ञात हो कि शहर में जबलपुर के महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय से स्टीडी सेंटर की संबद्धता लेकर निजी कॉलेज से चर्चित हो रहे हैं। इसके अलावा पंजाब टेक्निकल विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट समेत अन्य दूसरे जिले व प्रदेश के विश्वविद्यालयों से स्टीडी सेंटर की संबद्धता लेकर निजी कॉलेज से चर्चित हो रहे हैं। साथ ही नियमित कक्षाओं का दिखावा कर ऐसे कॉलेज छात्रों से मोटी फीस भी वसूल कर रहे हैं। यहाँ नहीं ऐसे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की डिग्री भी तीन साल क बजाये चार साल में पूरी हो रही है।

सम्बद्धता भी नियम विरुद्ध:-
 बताया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार किसी भी विश्वविद्यालय के क्षेत्र में किसी अन्य दूसरे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज संचालित नहीं हो सकते। इसके बावजूद जिले में न

केवल दूसरी जिलों के विश्वविद्यालय सम्बद्ध प्राइवेट कालेज संचालित हैं। इस नियम के तहत सागर विश्वविद्यालय क्षेत्र में दूसरे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रेंयुलर डिग्री कोर्स संचालित करना ही प्राथमिक तौर पर गलत है।

जो छात्र कहीं परीक्षा में पास न होता हो और पढ़ने में सबसे कमजोर हो या पढ़ने में कोई मेहनत न करने हुए सिर्फ नकल से पास करना चाहता हो तो इसके लिये जितने भर में सैंकड़ों की संख्या में खुले कागजी दूरवर्ती केंद्र वरदान साबित हो रहे हैं। हर वर्ष दूरवर्ती केंद्रों के स्थलों का द्वारा प्रशासनिक एवं विभागीय सांठ गांठ कर प्रायवर्त भवनों जिसमें धर्मशालाएं तथा अन्य अशासकीय भवन शामिल हैं। वहां पर परीक्षा सेंटर कराकर मेन टेक का ताला बंद कर खुलेआम गाइडें धरकर नकल करा कर परीक्षार्थियों को पास कर दिया जाता है। इसी नकल सुविधा के नाम पर छात्रों को मनमाना फीस देने के लिये मजबूर किया जाता है।